17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 476-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-1-2016 - पारित व्दारा - तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना - प्रकरण क्रमांक 3/2015-16 अ-27

दामोदर सिंह पुत्र नरसिंह तौमर
ग्राम कुरैठा तहसील पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश --आवेदक

विरूद्ध

1- गोविन्द सिंह 2- प्रहलाद सिंह पुत्रगण नरसिंह तौमर
3- राजेन्द्र सिंह 4- वीरेन्द्रसिंह 5- गजेन्द्र सिंह
6- देवेन्द्रसिंह 7- सतेन्द्रसिंह पुत्रगण छोटे सिंह
8- परिमाल सिंह 9- मान सिंह पुत्रगण तुस्सनपाल सिंह
10-श्रीदेवी पत्नि स्व.लदूरी 11- श्यामसिंह 12- सुंदरसिंह
13-अरबिंदसिंह 14- मेहरवान सिंह 15- रबिन्द्रसिंह
16- राजकुमार सिंह सभी पुत्रगण लदूरीसिंह निवासीगण
ग्राम माधौसिंह का पुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुंअरसिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 06 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार पोरसा के प्र0क0 3/15-16 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने सामिलाती भूमि के बटवारे हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत तहसीलदार पोरसा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेशी 5-11-15 नियत कर अनावेदकगण को सूचना जारी की गई। तहसीलदार के प्रकरण के अनावेदक कमांक 2,7,10,12 ने तामील लेने से मना कर दिया। फस्वरूप सुनवाई के लिये आगे की तिथि 17-11-15 नियत कर 2, 3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15 को चस्पीदगी से सूचना जारी कराई गई। नियत दिनांक 17-11-15 को इन अनावेदकगण के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई । आगामी पेशी 5-12-15 को आवेदक दामोदर सिंह की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत कर अदम पैरबी निरस्त करने की मांग रखी। तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर धारा 35(3) का आवेदन निरस्त कर दिया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार पोरसा ने अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-16 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 35(3) का आवेदन निरस्त किया है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 35 (3) एंव 35 (4) इस प्रकार है :-

धारा 35 (3) - **वह पक्षकार जिसके विरूद्ध उपधारा (1), (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है , ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जबकि सूचना या समन की सम्यक रूप से तामील न की गई हो , उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त के लिये (अपने शपथ पत्र के साथ) आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि वह विरोधी पक्षकार पर समन या सूचना की तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान करने से या**

सुनवाई में उप संजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को, जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था सूचना देने के पश्चात तथा ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे , पारित किये गये आदेश को अपास्त कर सकेगा।

धारा 35 (4) - जहां उपधारा (3) के अधील फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित कये गये मूल आदेश के विरूद्व अपील होती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार पोरसा द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-16 अपील योग्य आदेश है जिसके विरूद्व प्रस्तुत की गई निगरानी अग्राह्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलनयोग्य न होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर